G20
भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भः आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआईआर/आईएनवी/121/6/2023 5 जून, 2023
Ref: IRDAI/F&I/CIR/INV/121/6/2023 5th June, 2023

परिपत्र
CIRCULAR

विषयः राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी) में निवेश।
Sub: Investments in National Bank for Financing Infrastructure and Development.

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी) की स्थापना बुनियादी संरचना के वित्तपोषण के लिए आवश्यक बांडों और व्युत्पन्नी बाजारों के विकास सहित भारत में दीर्घकालिक अनाश्रयी (नान-रीकोर्स) बुनियादी संरचना के वित्तपोषण के विकास को समर्थन देने तथा बुनियादी संरचना के वित्तपोषण का व्यवसाय और उसके साथ संबंधित विषयों अथवा उसके लिए प्रासंगिक विषयों का संचालन करने हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के अधीन की गई है। एनएबीएफआईडी का विनियमन अखिल भारतीय वित्तीय संस्था के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है।
The National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) is established under National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 to support the development of long term non-recourse infrastructure financing in India including the development of bonds and derivatives markets necessary for infrastructure financing and to carry on the business of financing infrastructure and for matters connected therewith or incidental thereto. NaBFID is regulated by RBI as All India Financial Institution.

चूंकि एनएबीएफआईडी की स्थापना दीर्घकालिक बुनियादी संरचना के वित्तपोषण के विकास को समर्थन देने के लिए विकास वित्तीय संस्था के रूप में की गई है, अतः इस संस्था में निवेशों के लिए एक्सपोज़र सीमाएँ आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के विनियम 9 के नोट 3 के अंतर्गत सरकारी सीमित बुनियादी संरचना निवेशिती कंपनी के लिए निर्धारित सीमाओं के अनुरूप मानी जाएँगी।
As the NaBFID is established as Development Financial Institution to support the development of long-term infrastructure financing, the exposure limits for the investments in this entity will be considered in line with the limits prescribed for Public Limited Infrastructure Investee Company under note 3 of the Regulation 9 of IRDAI(Investment) Regulations,2016.

(अम्मु वेंकटरमण / Ammu Venkataramana)
महाप्रबंधक (वित्त व निवेश)/General Manager (F&I)